समाहरणालय मधेपुरा

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 26-03-2014

16 वीं लोकसभा चुनाव से संबंधित जिले में चल रहे कार्यक्रम एवं अभियान

- जिले में शांतिपूर्ण, भयमुक्त एवं स्वच्छ लोक सभा चुनाव, 2014 हेतु उपर्युक्त माहौल निर्माण के उद्देश्य से जिला दंडाधिकारी द्वारा जिले के चार कुख्यातों को बी0सी0सी0ए0 धारा -3(3) के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए उनके विरूद्ध गिरफ्तारी का वारंट निर्गत किया। श्री अरूण मरांडी, कठौतिया, थाना-बिहारीगंज दो मामलों के आरोपी हैं। श्री मंटू यादव उर्फ राजा यादव मोहनपुर चौमुख थाना-बिहारीगंज पाँच जघन्य अपराध के आरोपी हैं। संजय यादव मानिकपुर थाना मधेपुरा भर्राही ओ0पी0 कुल सात मामलों के आरोपी हैं एवं अपराधी संतलाल सिंह जो खोपड़िया थाना चौसा का है के खिलाफ 15 गंभीर अपराधिक मामले चल रहे हैं। सभी संबंधित थाने के थानाध्यक्षों को अविलंब गिरफ्तारी हेतु वारंट भेज दिया गया है।
- जिले में Confidence Building Measures संबंधित निर्देशों के अनुपालन में आज मुरलीगंज में अनुमंडल पदाधिकारी एवं एस0एस0बी0 के अधिकारियों एवं जवानों द्वारा मुरलीगंज में फ्लैग मार्च चलाया जा रहा है ताकि निर्बल, विकलांग, भयाक्रांत, दलित, अल्पसंख्यक एवं Vulnerable मतदाताओं में मतदान के प्रति सुरक्षा एवं भयमुक्त वातावरण का निर्माण किया जा सके।
- जिला दंडाधिकारी द्वारा 25-03-2014 को कुल 5 शस्त्रों का लाइसेंस रद्द किया गया साथ ही चुनाव आयोग के प्रेस नोट जारी करने के बाद अबतक कुल 29 शस्त्रों के अनुज्ञप्ति को रद्द किया गया है एवं अबतक कुल 33 शस्त्र गन हाउस एवं थाने में जमा करा लिये गए हैं।
- आज विडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिलाधिकारी द्वारा लोक सभा चुनाव में नाम निर्देशन संबंधित प्रक्रिया के अंतर्गत मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार पटना के द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त किया गया जिसमें जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी एवं उप निर्वाचन पदाधिकारी भी शामिल थे।
- मधेपुरा जिले में आदर्श आचार संहिता के मामले में कल दो कार्रवाई की गयी जिसमें प्रथम मधेपुरा के हनुमान मंदिर के पास बड़ा बैनर हटाते हुए संबंधित पार्टी के अध्यक्ष के विरूद्ध प्रखंड विकास पदाधिकारी, मधेपुरा द्वारा प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है साथ ही सिंहेश्वर में भी एक राजनीतिक पार्टी का प्रचार वाहन बैनर एवं लाउडस्पीकर सहित आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में पकड़ा गया है एवं इनके विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज किये जाने की सूचना है।
- जिला स्वीप प्लान के अंतर्गत मतदाता जागरूकता अभियान के क्रम में सम्पूर्ण जिले में मतदाता जागरूकता रथ एवं नुक्कड़ नाटक प्रदर्शन युद्ध स्तर पर चुनाव आयोग के निर्देशों के अक्षरशः अनुपालन चलाया जा रहा है। आज 26-03-2014 को शंकरपुर प्रखंड के कुल 15 गाँव एवं टोलों में नुक्कड़ नाटक का प्रदर्शन किया जा रहा है। दिनांक 27-03-2014 को ग्म्हरिया प्रखंड के सभी पंचायत टोलों आदि में तलत नौखेज द्वारा निर्मित नुक्कड़ नाटक का प्रदर्शन होना है तथा जिले में कुल 222 नुक्कड़ नाटक प्रदर्शन का कार्य जिलाधिकारी महोदय के आदेशानुसार कराया जाना है।
- जिले में सभी मतदान में भाग लेने वाले पदाधिकारियों का केशव कन्या उच्च विद्यालय, मधेपुरा में प्रथम प्रशिक्षण का कार्यक्रम अनवरत चलाया जा रहा है तथा सभी मतदान केन्द्रों में बेसिक मीनिमम फैसलिटी के अंतर्गत निर्माण एवं निरीक्षण कार्यक्रम लगातार चलाया जा रहा है।
- जिले में सभी शराब व्यवसायियों को जिलाधिकारी द्वारा दिनांक 24-03-2014 को दिये गये सख्त निर्देशों के अनुपालन में पुलिस एवं उत्पाद अधीक्षक कार्यालय द्वारा सघन अभियान चलाया जा रहा है। जिले में आलमनगर में अफीम की खेती को नष्ट करने का अभियान चलाया जा रहा है।
- सभी प्रमुख प्रिंट एवं इलेक्ट्रोनिक मीडिया के प्रतिनिधियों को मतदान एवं मतगणना के दौरान पोलिंग स्टेशन में चुनाव कवरेज हेतु प्राधिकार पत्र निर्गत करने के लिए अपना नाम, पता, फोटो, जिला जनसम्पर्क कार्यालय में जमा करने हेतु सूचना दे दी गयी है।

Kindly upload P.R on the distt. Website.

26/3/14
(RAJIV RANJAN
MEDIA-CELL